ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त **Accredited with 'A' Grade by NAAC**

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Prof. Anand Patil
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02/2025/114 दिनांक : 11.04.2025

परिपत्र

विषय : छात्र समूहों द्वारा विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम एवम् संसाधनों के उपयोग हेतु प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

प्राय: यह देखा गया है कि विभिन्न छात्र समूहों द्वारा विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम एवम् सम्बन्धित सुविधाओं—जैसे तकनीकी स्टाफ, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली (PA सिस्टम) आदि—के उपयोग हेतु शनिवार, रविवार एवम् राजकीय अवकाश के दिनों में भी अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम संसाधनों से सुसज्जित अवश्य हैं, परन्तु वे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए हैं तथा उनमें स्थायी रूप से कोई तकनीकी अथवा सहायक कर्मी नियुक्त नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जब कोई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तब आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों से कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। ऐसी व्यवस्था विभिन्न छात्र समूहों के लिए पृथक्–पृथक् रूप से करना प्रशासन की दृष्टि से सम्भव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि जब महापुरुषों की स्मृति अथवा अन्य शैक्षणिक महत्त्व के अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, तो वे विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पूर्ण छात्र समुदाय के लिए आयोजित होते हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरक विचारों और शैक्षणिक मूल्यों से परिचित कराना होता है। अतः ऐसे विषयों पर किसी व्यक्तिगत या पृथक् छात्र समूह द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता।

सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक एवम् सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और स्वतन्त्र रूप से ऑडिटोरियम के उपयोग हेतु पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत न करें।

यदि कोई छात्र समूह खुले स्थलों—जैसे खेल मैदान आदि—में किसी स्वतन्त्र कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयोजन किया जा सकता है :

1. समस्त व्यवस्थाएँ छात्र समूह को स्वयम् करनी होंगी।
2. कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) एवम् कुलानुशासक (Proctor) से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय अपने छात्र समुदाय की सकारात्मक सक्रियता की सराहना करता है, परन्तु संसाधनों के न्यायसंगत एवम् सुव्यवस्थित उपयोग हेतु सभी से अपेक्षा करता है कि वे संस्थागत दिशा–निर्देशों का पालन करें।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है तथा सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रभारियों, निदेशकों, केंद्र निदेशकों, विभागाध्यक्षों एवम् अधिष्ठाताओं की जानकारी हेतु निर्गत किया जाता है।

(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा प्रेषित) :

1. माननीय कुलपति सचिवालय
2. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, केंद्र निदेशक
4. कुलानुशासक
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
6. समस्त प्रशासनिक विभाग प्रमुख
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
8. संबंधित पत्रावली